# छत्तीसगढ़ शासन
# वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
## मंत्रालय
## महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

## // अधिसूचना //

(वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र–औद्योगिक नीति 2019–24)

**नवा रायपुर दिनांक** 3|1|2020

क्रमांक एफ 20–93/2019/11–6 : राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत परिशिष्ट–1 की कंडिका–19 एवं 20 के अंतर्गत परिभाषित **"वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र"** ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से जारी करने हेतु, निम्नानुसार सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है :–

| | | |
|---|---|---|
| i | a. सूक्ष्म उद्योग | संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, |
| | b.लघु/मध्यम/वृहद उद्योग | संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, |
| ii | सूक्ष्म, लघु/मध्यम सेवा उद्यम | संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र |
| iii | मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट | अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ |

**औद्योगिक नीति 2019–24 के पूर्व के प्रकरण छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–121/2009/11/(6) दिनांक 31.01.2011 एवं क्रमांक एफ 20–05/2016/ 11/(6) दिनांक 13.04.2016 से प्रशासित होंगे।**

2 Ease of Doing Business के तहत् विभाग में सरलीकरण, स्वप्रमाणीकरण व अधिकारों का विकेन्द्रीकरण तथा प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने, उनके निराकरण करने की प्रक्रिया एवं राज्य शासन की औद्योगिक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है :–

2.1. वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र (नवीन उद्योग/विद्यमान उद्योग का विस्तार/विद्यमान उद्योग में डायवर्सीफिकेशन /प्रतिस्थापन) का प्रारूप परिशिष्ट–1 अनुसार होगा।

2.2. आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा करने से पूर्व इकाई को यथा स्थिति जो लागू हो, उद्यम आकांक्षा पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2.3. इकाई को ऑनलाईन आवेदन फॉर्म पूर्ण रुप से भर कर, निर्धारित प्रारुप (परिशिष्ट–3) में चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाण–पत्र (यदि इकाई का प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश रु 10 लाख से अधिक हो) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (औद्योगिक नीति 2019–24 की परिशिष्ट–1 में परिभाषित **कमांक 36** अनुसार) ऑनलाईन संलग्न करना होगा। यदि इकाई का प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश रु 25 लाख से कम है तो आवेदन में पूंजी निवेश संबंधी जानकारी परिशिष्ट–3 के प्रारुप में ही स्वप्रमाणन के आधार पर इकाई को भरते हुये ऑनलाईन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.4. इकाई द्वारा निर्धारित प्रारुप (परिशिष्ट–2) में शपथ–पत्र ऑनलाईन आवेदन के समय स्वीकृत करना होगा जिससे इकाई द्वारा प्रदाय समस्त जानकारी की सत्यता का प्रमाण होगा।

2.5. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु औद्योगिक इकाई को ऑनलाईन (इकाई के लॉग–ईन में) एवं इकाई की सुविधा के लिये ई–मेल पर भी परिशिष्ट–4 अनुसार, सूचित किया जावेगा जिसमें स्थल निरीक्षण का दिनांक एवं स्थल निरीक्षण अधिकारी के नाम, पद व मोबाईल नं. का विवरण भी होगा। साथ ही अनिवार्य दस्तावेजों की सूची जिनका परीक्षण किया जाना है, इकाई को तैयार रखने हेतु सूचित किया जावेगा। निरीक्षण तिथि की सूचना पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. से भी, सुविधा की दृष्टिगत, प्रेषित की जावेगी।

2.6. वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु स्थल निरीक्षण, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में यथासंभव, प्रबंधक/सहायक प्रबंधक तथा मध्यम, वृहद उद्योगों/मध्यम सेवा उद्यमों के प्रकरणों में, प्रबंधक तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा किया जावेगा। आवेदन–पत्र एवं उसके साथ संलग्न सह पत्रों के स्वप्रमाणित जानकारियों में किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में, उसे सिद्ध करने का दायित्व संबंधित आवेदक इकाई का ही होगा एवं उसकी उत्तरदायिता भी आवेदक इकाई की ही होगी।

2.7. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों, मध्यम उद्योगों/सेवा उद्यमों तथा वृहद उद्योगों के प्रकरणों में 10 दिवसों में तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में 12 दिवसों में स्थल निरीक्षण कर उसका प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप (परिशिष्ट–5) अनुसार ऑनलाईन प्रक्रिया में प्रस्तुत करना होगा।

2.8. स्थल निरीक्षण के संबंध में वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र में निहित– **पूंजी निवेश, उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक व रोजगार** – निरीक्षण प्रतिवेदन इन्हीं बिन्दुओं को केन्द्र में रखकर किया जावें, इस हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देशों का पालन किया जावे :–

अ. राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2019–24 में दी गई परिभाषाओं/योजना के आधार पर एवं विद्यमान उद्योगो के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन से संबंधित प्रकरणों में यह स्पष्ट किया जावें कि प्लांट एवं मशीनरी, उत्पाद की क्षमता एवं रोजगार में निर्धारित मात्रा में वृद्धि हुई है अथवा नहीं।

ब. ऑनलाईन आवेदन–पत्र में पूंजी निवेश संबंधी जानकारी का सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा, संलग्न सी.ए. प्रमाण पत्र/स्वप्रमाणित परिशिष्ट–3 (जैसा लागू हो), के आधार पर किया जावेगा।

स. विद्यमान इकाई के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन के प्रकरणों में औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुसार उत्पाद/उत्पादों की वार्षिक क्षमता का निर्धारण सी.ए. प्रमाण पत्र परिशिष्ट–3.अ. के आधार पर तथा पूंजी निवेश निर्धारित की गई न्यूनतम मान्य सीमा का सत्यापन भी सी.ए. प्रमाण पत्र, के आधार पर किया जावेगा।

द. निरीक्षण अधिकारी इकाई के उत्पाद/सेवा का निरीक्षण करेंगे एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि का सत्यापन उत्पाद से संबंधित प्रमुख प्रथम कच्चा माल क्रय/विद्युत कनेक्शन दिनांक तथा प्रथम विक्रय की तिथि के आधार पर करेंगे। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का

दिनांक– इकाई द्वारा दिया उत्पादन दिनांक, प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक/विद्युत कनेक्शन दिनांक से प्रथम विक्रय तक के मध्य का कोई दिनांक हो।

ई स्थल निरीक्षण अधिकारी, औद्योगिक इकाई में रोजगार का सत्यापन निर्धारित प्रारुप (परिशिष्ट–4, बिन्दु क्र. 4) में इकाई द्वारा प्रदाय जानकारी/समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार करेंगे।

2.9. निरीक्षणकर्ता अधिकारी निरीक्षण के दौरान न्यूनतम 3 फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे:

1. सम्पूर्ण उद्योग का (गेट से फैक्ट्री तक)
2. उत्पादनरत स्थिति में (शॉप फ्लोर का)
3. निर्मित उत्पाद का
4. आवश्यकतानुसार अन्य

2.10. स्थल निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण पूर्ण करने के 02 कार्य दिवस के भीतर ऑनलाईन निरीक्षण प्रतिवेदन अभिमत एवं टीप सहित अपलोड करना होगा। इकाई द्वारा दी गई किसी जानकारी के स्पष्टीकरण हेतु (यदि आवश्यक हो तो) सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन, प्रकरण में सभी स्पष्टीकरण संबंधी बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये, मात्र एक बार, इकाई को वापस ऑनलाईन (इकाई के लॉग–ईन में) एवं इकाई की सुविधा के लिये ई–मेल पर भी प्रेषित किया जावेगा। इकाई को किसी भी स्पष्टीकरण हेतु 07 दिवस का समय दिया जायेगा। 07 दिवस के भीतर वांछित स्पष्टीकरण पुनः ऑनलाईन जमा न करने पर आवेदन स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

2.11. स्थल निरीक्षण के पश्चात आवेदन पूर्ण पाये जाने पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा इकाई का आवेदन अभिमत एवं टीप सहित संबंधित सक्षम अधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित किया जायेगा। इन सभी के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

2.12. वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु निर्णय लेने की अधिकतम समय–सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से निम्नानुसार होगी –

1. सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग, – **30 कार्य दिवस**
2. सूक्ष्म, लघु, मध्यम सेवा उद्यम – **30 कार्य दिवस**
3. मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स – **30 कार्य दिवस**

2.13. इस अधिसूचना में अंकित सक्षम अधिकारियों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र परिशिष्ट–6 अनुसार जारी किया जाकर इकाई की ऑनलाईन लॉग–ईन पर उपलब्ध कराया जावेगा। साथ ही इकाई की सुविधा के लिये, ई–मेल पर भी इकाई को प्रेषित किया जावेगा।

2.14. आवेदन–पत्र अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी समुचित कारणों का उल्लेख करेगा जो कि इकाई के ऑनलाईन लॉग–ईन पर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी ऐसे प्रकरण में औद्योगिक इकाई को ऑनलाईन में उपलब्ध रहेगा।

2.15. यदि वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र में उल्लेखित इंद्राजो में किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि अथवा कमी अथवा भ्रामक जानकारी के आधार पर जारी होना पाया जाता है तो नोटिस देकर 15 दिवस का अवसर प्रदान करते हुये गुण दोष के आधार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र निरस्त करने का

अधिकार सक्षम अधिकारी जिनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र जारी किया गया है या उच्च अधिकारी को होगा।

2.16. वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में चरणबद्ध उत्पादन की प्रविष्टियॉ/विद्यमान उद्योग में विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन से संबंधित प्रविष्टियों हेतु अतिरिक्त उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, वह मूल उत्पादन प्रमाण पत्र के साथ पढ़ा जावेगा।

2.17. सक्षम अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणन किया जावेगा कि वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियां औद्योगिक नीति 2019–24 के तहत् है व उद्योग नवीन/विद्यमान उद्योग में विस्तार/शवलीकरण/ प्रतिस्थापन है।

2.18. वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र निरस्त होने पर सूक्ष्म उद्योग/सूक्ष्म सेवा उद्यम तथा लघु, मध्यम उद्योग/लघु, मध्यम सेवा उद्यम, वृहद् उद्योग के प्रकरणों में आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ को अपील की जा सकेगी तथा मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी) को अपील की जा सकेगी। अपील शुल्क रु. 2000/– (यथा लागू कर अतिरिक्त) होगा।

2.19. वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र का आवेदन, निरीक्षण एवं प्रमाण–पत्र के प्रारुप में एवं संबंधित प्रकिया में किसी भी प्रकार के संशोधन का पूर्ण अधिकार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सुरक्षित रखता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

**(मनोज कुमार पिंगुआ)**
**प्रमुख सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**

**पृ. क्रमांक एफ 20–93/2019/11–6** **रायपुर, दिनांक दिसंबर 2019**

प्रतिलिपिः–

1– संयोजक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर ।

2– संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर ।

3– मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, .................... ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

**प्रमुख सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**

# वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन

नवीन / विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन

(जो लागू हो, चयन करें)

पूर्व में जारी उत्पादन प्रमाण–पत्र का क्रमांक व दिनांक (विस्तार / शवलीकरण की स्थिति में)

1. औद्योगिक इकाई का नामः

2. परियोजना लागत* : रु0 लाख में

3. संगठन का प्रकारः

4. उद्यमी की श्रेणीः चयन करें
सामान्य / एनआरआई–एफडीआई / निर्यातक / महिला / अजजा / अजा / अपिव / विकलांग (दिव्यांग) / भूतपूर्व सैनिक / नक्सल प्रभावित / महिला स्व सहायता समूह / एफपीओ

5. औद्योगिक क्षेत्र इकाई की श्रेणीः सूक्ष्म / लघु / मध्यम / वृहद / मेगा / अल्ट्रा मेगा

6. उद्योग का वर्गः सामान्य / प्राथमिक / संतृप्त / कोर

7. इकाई का स्थलः
(गांव / तहसील / विकासखण्ड / जिला / एरिया पिन कोड सहित)

8. विकासखण्ड का नाम एवं श्रेणी :

9. प्रमुख गतिविधिः विनिर्माण / सेवा

प्रमुख उत्पाद / सेवा | एन.आई.सी. कोड

10. निर्मित उत्पाद / सेवा प्रदायः

| नवीन इकाई के लिये | | | | | | विद्यमान इकाई में विस्तार | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | उत्पाद / सेवा का नाम | गतिविधि कोड | उत्पादन दिनांक | वार्षिक क्षमता | इकाई | क्षमता में वृद्धि | विस्तार पश्चात् कुल क्षमता |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| शवलीकरण के प्रकरणों में | | | | | | | |
| 3 | शवलीकरण के अंतर्गत शामिल नवीन उत्पाद | | | | | NA | |
| | प्रतिस्थापन के प्रकरणों में | | | | | | |
| | प्रतिस्थापन के अंतर्गत शामिल उत्पाद / मशीनरी | | | | | NA | |

*परियोजना लागतः उद्योग आकांक्षा/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेन्स/एम.ओ.यू. हेतु दिये गये आवेदन के साथ संलग्न परियोजना प्रतिवेदन में औद्योगिक इकाई द्वारा दर्शायी गयी उद्योग की परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर)

11. **पूंजी निवेशः**

| क्र. | परिसंपत्तियों का नाम | नवीन इकाई/विद्यमान इकाई | विद्यमान इकाई में विस्तार/शवलीकरण/प्रति स्थापन | योग | प्रतिस्थापन प्रक्रिया हेतु पूर्व यंत्र–संयंत्र के संबंध में जानकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | भूमि/भूमि विकास | | | | |
| **2** | शेड–भवन | | | | |
| **3** | यंत्र–संयंत्र/उपकरण | | | | |
| **4** | विद्युत स्थापना | | | | |
| **5** | जल स्थापना | | | | |
| | योग | | | | |

**टीप** :– प्रतिस्थापन के प्रकरणों में औद्योगिक नीति के निर्देशानुसार अतिरिक्त जानकारी भी प्रदाय की जानी होगी। (यथा प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तावित मशीनों की आयु, आयकर विवरणी में उनकी पूर्व प्रारंभिक मूल्य एवं प्रतिस्थापन प्रस्ताव के समय तत्कालीन मूल्य, इकाई का पूर्व अवधि में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार डीपीआर में उल्लेखित पूर्ण क्षमता तक कार्यरत रहने के संबंध में प्रमाण पत्र)

12. **रोजगारः**

| श्रम का प्रकार | विद्यमान/नवीन औद्योगिक इकाई में रोजगार | | | विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन हेतु अतिरिक्त रोजगार | | | विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन पश्चात् कुल रोजगार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य के निवासी | अन्य | योग | राज्य के निवासी | अन्य | योग | राज्य के निवासी | अन्य | योग |
| 01 | 02 | 03 | 04 (2+3) | 05 | 06 | 07 (5+6) | 08 (2+5) | 09 (3+6) | 10 (4+7) |
| अकुशल | | | | | | | | | |
| कुशल | | | | | | | | | |
| प्रबंधकीय/प्रशासकीय | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | |

13.विद्युत भार एवं बी.पी.नम्बर

उर्जा के अन्य स्त्रोत : उद्यम आकांक्षा अनुसार

14. **पंजीयन क्रमांक**

i. पैन/भागीदारी फर्म पंजीयन क्र./सी.आई.एन. नम्बर/सोसायटी पंजीयन क्र0:
ii. यू.ए.एम./ई.एम. भाग–2/आई.ई.एम. भाग–ब क्र0:
iii. पर्यावरण (परिचालन की सम्मति) क्र0: **(यदि लागू हो)**
iv. श्रम (फैक्ट्री लायसेंस) क्र0: **(यदि लागू हो)**
v. ई.एस.आई. क्र0: **(यदि लागू हो)**

vi. ई.पी.एफ. क्र0: **(यदि लागू हो)**

vii. टीन क्र. (वैट, सी.एस.टी.)/जी.एस.टी.: **(यदि लागू हो)**

viii. सेवा कर पंजीयन क्र. (एस.टी.2): **(यदि लागू हो)**

**15. संलग्नकः**

i. ***सभी इकाईयों के लिये लागू :–*** निर्धारित प्रारुप में चार्टड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र (यदि प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश रु0 25 लाख से अधिक हो)

ii. ***सभी इकाईयों के लिये लागू :–*** विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

iii. ***केवल विद्यमान उद्योगों के लिये लागू :–*** विद्यमान उद्योग में विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/चरणबद्ध उत्पादन से संबंधित प्रकरणों में पूर्व में जारी सभी उत्पादन प्रमाण पत्र/अतिरिक्त उत्पादन प्रमाण–पत्र।

## अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण

1. अधिकृत प्रतिनिधि का नाम ( पंजीयन अनुसार)

2. औद्योगिक इकाई के पत्र व्यवहार का पता (इनमें से कोई एक)

तीन विकल्प

अ. संयंत्र का पता ..............................................................

ब. इकाई का पता ..............................................................

स. अन्य पता ..............................................................

जिला ................. राज्य........................ पिन कोड .................. मो. नं. ...................

ई–मेल आईडी ..............................................................

3. उद्यमियों का विवरण (सभी भागीदार/संचालक)

अ. नाम ....................... लिंग ................. वर्ग .................... शिक्षा .............

भागीदारी अंश/लाभ के भाग का अनुपात (प्रतिशत में) एवं रु0 में .........................

ब. नाम ....................... लिंग ................. वर्ग .................... शिक्षा ............

.भागीदारी अंश/लाभ के भाग का अनुपात (प्रतिशत में) एवं रु0 में .........................

स. नाम ....................... लिंग ................. वर्ग .................... शिक्षा .............

भागीदारी अंश/लाभ के भाग का अनुपात (प्रतिशत में) एवं रु0 में .........................

# शपथ–पत्र

"मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है तथा उसमें कोई तथ्य नही छुपाये गये हैं। मैं/हम तथ्यों से पूर्ण रूपेण सहमत हूं/हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/सही सिद्ध ना हो, तो मैं/हम विधि के अनुरूप कार्यवाही का सामना करूंगा/करेंगे।"

मैं/हम यह भी शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं:–

1. यह कि इकाई का फैक्ट्री स्थल प्रभावी किसी स्थानीय प्रतिबंधों का उल्लघंन नही करता है तथा यह कि मैं/हम सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्थानीय सम्मतियां प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।
2. यह कि मैं/हम सभी कानूनी सम्मतियां/अनापत्ति प्रमाण–पत्र/आवश्यक अनुमति विनिर्माण/गतिविधि के संचालन हेतु विद्यमान विधि, नियमन तथा प्रभावी नियमों के तहत् प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।
3. यह कि मैं/हम आवश्यक पंजीयन/लायसेंस तथा भू–व्यपवर्तन भी जहां अपेक्षित हो, संबंधित कानूनों, नियमों या प्रभावी आदेशों के तहत् उक्त औद्योगिक गतिविधि के संचालन हेतु प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।
4. यह कि मैं/हम, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय में सक्षम अधिकारी को इकाई के संबंध में सभी संशोधन अथवा परिवर्तन की स्थिति में यदि कोई हो, जैसा कि समय–समय पर अपेक्षित है, ऐसे संशोधन अथवा परिवर्तन के 15 दिवस के भीतर में अवगत कराने/सूचित करने का विधिक भार लेता हूं/लेते हैं।
5. यह कि मैं/हम शपथ लेता हूं/लेते हैं कि वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत विवरणी अथवा सूचनाएं गलत अथवा जालसाजीपूर्ण पाया जाता है तो केन्द्र अथवा राज्य शासन की, विभिन्न योजनाओं के तहत् उद्योगों को प्रदत्त सहायता अथवा वित्तीय सुविधाओं या लाभों का 18 प्रतिशत ब्याज सहित केन्द्र अथवा राज्य सरकार को मेरी/हमारी ओर से देय होगा।
6. यह कि मैं/हम पूरी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि मैं/हम सभी शर्तो का पालन करुंगा/करेंगें, जिसके चूक करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र निरस्तीकरण के साथ–साथ प्रभावशील अन्य संबंधित कानून एवं नियमों के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही किये जाने का अधिकार रखेंगे।

दिनांक:
स्थान:

शपथकर्ता का नाम
(पद)
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

# पूंजी निवेश हेतु चार्टड एकाउन्टेन्ट / प्रमाण–पत्र का प्रारुप

(सी.ए. / इकाई (प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश रु 25 लाख से कम होने पर) के लेटर हेड पर)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक ................(यहां वैध ई.एम पार्ट–1, उद्यम आकांक्षा, आई.ई. एम., पूर्व उत्पादन प्रमाण पत्र की तिथि, जो भी लागू हो अंकित की जावे) से.................(वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक) तक मेसर्स .................................... द्वारा निम्नानुसार उनके नवीन इकाई / विद्यमान इकाई में विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन हेतु पूंजी निवेश किया गया है तथा उनके नवीन इकाई / विद्यमान इकाई में विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन में दिनांक ...... ................. को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जानकारी निम्नानुसार है:–

## 1. पूंजी निवेश (रू. लाख में)

| क्र. | परिसम्पत्तियों का प्रकार | नवीन / विद्यमान इकाई | विद्यमान इकाई का विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भूमि / भूमि विकास | | | |
| 2. | शेड–भवन | | | |
| 3. | यंत्र–संयंत्र / उपकरण | | | |
| 4. | विद्युत स्थापना | | | |
| 5. | जल स्थापना | | | |
| योग | | | | |

### 1.1 भूमि

| क्र. | क्षेत्रफल | हेक्टे / एकड़ / वर्गफीट | क्रय मूल्य (रु0 लाख में) | प्र–ब्याजी (रु0 लाख में) | योग (रु0 लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### 1.2 शेड–भवन

( मूल्य रु0 लाख में)

| क्र. | विवरण | नवीन / विद्यमान इकाई | विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन | योग (रु0 लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | फैक्ट्री–भवन | | | |
| 2. | शेड | | | |
| 3. | प्रयोगशाला भवन | | | |
| 4. | अनुसंधान भवन | | | |
| 5. | प्रशासनिक भवन | | | |
| 6. | केन्टीन | | | |
| 7. | श्रमिक विश्राम गृह | | | |
| 8. | वाहन पार्किंग | | | |
| 9. | सुरक्षा प्रकोष्ठ | | | |
| 10. | गोडाऊन | | | |
| 11. | अन्य | | | |
| | योग | | | |

1.3 यंत्र–संयंत्र

| क्र. | विवरण | नवीन / विद्यमान इकाई | विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन | योग (रु0 लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | यंत्र एवं संयंत्र | | | |
| 2. | पर्यावरण नियंत्रण उपकरण एवं प्रयोगशाला | | | |
| 3. | अनुसंधान हेतु यंत्र एवं उपकरण | | | |
| 4. | परीक्षण उपकरण | | | |
| 5. | स्थापना व्यय (पूंजीगत हो) | | | |
| योग | | | | |

मैं / हम एतद् द्वारा सुनिश्चित करता हूं / करते है कि मैं / हम निर्धारित पंजी, लेखा पंजी एवं उक्त इकाई के संबंध में बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन–सह–परीक्षण कर चुका हूं / चुके हैं।

मैं / हम पूरी तरह से समझता हूं / समझते हैं कि इस प्रमाण–पत्र में दर्शाये गये जानकारी यदि असत्य अथवा झूठ सिद्ध होती है तो मैं / हम दंडात्मक कार्यवाही या अन्य परिणाम जो विधि में निर्धारित हो सकें या अन्यथा सुनिश्चित हो, के योग्य होंगे।

मैं / हम संबंधित अधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार की सूचना जो सत्यापन हेतु अपेक्षित हो, तत्काल प्रस्तुत करुंगा / करेंगें।

हस्ताक्षर एवं स्टॉम्प / हस्ताक्षरकर्ता के सील

नाम..........................................................................................

सदस्यता क्र............................ फर्म पंजीयन क्र............

पूर्ण पता.................................................................................

दिनांक.............................................

स्थान...............................................

आवेदक के हस्ताक्षर

चार्टड एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर

टीपः– परिशिष्ट–3 के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं स्टॉम्प अनिवार्य है।

**परिशिष्ट– 3अः सी.ए. के लेटर हेड पर** (केवल विद्यमान इकाई के विस्तार के प्रकरणों में लागू)

## इकाई के उत्पादन का विवरण, बिक्री एवं कर भुगतान के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र

इकाई का नामः
उत्पादन क्षमताः परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार

| क0 | माह | उत्पादन | बिक्री | वैट भुगतान की राषि | सी0एस0टी0 भुगतान की राषि | एक्साईज भुगतान की राषि | विद्युत शुल्क | सेवा कर भुगतान की राषि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अप्रैल | | | | | | | |
| 2 | मई | | | | | | | |
| 3 | जून | | | | | | | |
| 4 | जुलाई | | | | | | | |
| 5 | अगस्त | | | | | | | |
| 6 | सितम्बर | | | | | | | |
| 7 | अक्टूबर | | | | | | | |
| 8 | नवम्बर | | | | | | | |
| 9 | दिसम्बर | | | | | | | |
| 10 | जनवरी | | | | | | | |
| 11 | फरवरी | | | | | | | |
| 12 | मार्च | | | | | | | |

मैं/हम निम्नानुसार यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं:–

यह कि उक्त सूची का मिलान मेरे/हमारे समक्ष प्रस्तुत लेखा पुस्तकों, देयकों एवं अन्य दस्तावेजों से किया गया है एवं सत्य पाया गया है

यह कि उक्त राशियों का भुगतान इकाई द्वारा दिनांक ........ से ........... की अवधि में वास्तव में किया गया है।

यह कि उक्त जानकारी समस्त संबंधित विभागों में जमा किये गये रिर्टन के अनुसार है।

यह कि मेरा/हमारा आवेदक इकाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से व्यावसायिक संबंध के अलावा कोई भी संबंध नही है।

यह कि उक्त परिशिष्ट में दी गई जानकारी मेरे/हमारे द्वारा प्रमाणित की गई है।

मैं/हम निम्नानुसार यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि इस प्रमाण–पत्र में कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक पायी जाती है तो छत्तीसगढ़ शासन को मेरे/हमारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं इस प्रकरण को **The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi** के समक्ष रखने का अधिकार होगा।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम............................ पताः...................................... सदस्यता क्र0 .................................. फर्म पंजीयन क्र0............................

टीपः– परिशिष्ट–3.अ. के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं स्टॉम्प अनिवार्य है।

# संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय
# कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
# जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र,

क्रमांक–     /उत्पादन प्र.पत्र कक्ष/      /                                                        रायपुर, दिनांक

सूचना पत्र

प्रति,

..................................
..................................
..................................

विषयः– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आपका आवेदन दिनांक ................।
संदर्भः– आपका आवेदन पत्र.........दिनांक.......

––00––

उपरोक्त विषय में आपके संदर्भित आवेदन पत्र पर सूचित किया जाता है कि कार्यालय के श्री... ................... महाप्रबंधक/प्रबंधक/सहायक प्रबंधक, मोबा0 नं..........................द्वारा दिनांक ................... को स्थल निरीक्षण किया जावेगा। स्थल निरीक्षण के समय आप स्वयं अथवा आपके प्रतिनिधि नीचे उल्लेखित दस्तावेज सहित उपलबध रहें ताकि स्थल निरीक्षण कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। निर्धारित तिथि पर उपलब्ध न होने पर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन न होने से आपके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, व उत्पादन प्रमाण पत्र जारी होने में विलंब का दायित्व आपका होगा।

प्रमुख दस्तावेजों की सूची जिन्हें निरीक्षण समय मूल में (एवं एक छायाप्रति) प्रस्तुत करना होगाः

1. प्रथम कच्चा माल क्रय का बिल
2. विद्युत कनेक्शन प्रदाय का प्रमाण
3. प्रथम विक्रय बिल
4. रोजगार एवं स्थानीय निवास संबंधी जानकारी (परिपत्र कमांक 164/औ.नि.प्र. –रा/2005/9766–81, दिनांक 13.06.2006 अनुसार। इसकी छायाप्रति______पर उपलब्ध है)

| क्र. | नाम एवं स्थाई पता | पद | पदस्थापना का दिनांक | जन्म तिथि एवं जन्म स्थान | वर्तमान निवास स्थान | मासिक वेतन/मजदूरी | उन दस्तावेजों का नाम जिसके आधार पर राज्य का मूल निवासी मान्य किया गया है | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**अपर संचालक/संयुक्त संचालक**
**उद्योग संचालनालय**
**मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक**
**जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र**

# वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन

(नवीन / विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन)

## अ. सत्यापन

1. **इकाई की जानकारी:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | औद्योगिक इकाई का नाम | |
| 2 | औद्योगिक इकाई का पता | |

2. **विकासखण्ड का नाम एवं श्रेणी :**

3. **पूंजी निवेश (चार्टड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र/स्व–प्रमाणित अभिलेख एवं आवेदन पत्र में अंकित इन्द्राजों के आधार पर सत्यापित):**

| विवरण | नवीन इकाई / विद्यमान इकाई | विद्यमान इकाई का विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन | कुल पूंजी निवेश | विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन के अंतर्गत निवेश का प्रतिशत | परिपालन |
|---|---|---|---|---|---|
| भूमि / भूमि विकास | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| शेड–भवन | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| यंत्र–संयंत्र | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| विद्युत स्थापना | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| जल आपूर्ति पर निवेश | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| योग | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| रिमार्क (अनिवार्य): | | | | | |

## ब. निरीक्षण

### 1. रोजगार

| श्रम का प्रकार | नवीन / विद्यमान औद्योगिक इकाई में रोजगार | | | विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन हेतु अतिरिक्त रोजगार | | | विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन पश्चात् कुल रोजगार | | | रोजगार में वृद्धि का प्रतिशत | परिपालन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य के निवासी | अन्य | योग | राज्य के निवासी | अन्य | योग | राज्य के निवासी | अन्य | योग | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 (2+3) | 05 | 06 | 07 (5+6) | 08 (2+5) | 09 (3+6) | 10 (4+7) | 11 {(10-7)/7*100)} | 12 |
| अकुशल | | | | | | | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| कुशल | | | | | | | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| प्रबंधकीय / प्रशासकीय | | | | | | | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| योग | | | | | | | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| रिमार्क (अनिवार्यतः) | | | | | | | | | | | |

सत्यापन हेतु निर्देश :–

1. निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा इकाई के रोजगार संबंधी जानकारी का सत्यापन इकाई द्वारा प्रस्तुत कर्मचारियों के विवरण के अनुसार की जावें।
2. विस्तार तथा शवलीकरण के प्रकरणों में निरीक्षणकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रोजगार में वृद्धि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुरूप होना चाहिए। निरीक्षणकर्ता अधिकारी को इकाई द्वारा दर्शायें गये रोजगार संबंधी जानकारी की सत्यता पर अनिवार्य रुप से रिमार्क / अभियुक्ति देना होगा।

## 2. उत्पाद/सेवा

| नवीन/विद्यमान औद्योगिक इकाई | | | | | | विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार | | | परिपालन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 | उत्पाद/सेवा का नाम | कोड | उत्पादन प्रारंभ दिनांक | वार्षिक उत्पादन क्षमता | यूनिट | विस्तार अंतर्गत क्षमता में वृद्धि | विस्तार पष्चात् कुल क्षमता | विस्तार पश्चात् क्षमता में वृद्धि (प्रतिषत में) | |
| 1 | | | | | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| 2 | | | | | | | | | हां ☐ नहीं ☐ |
| शवलीकरण के प्रकरणों में | | | | | | | | | |
| 3 | शवलीकरण के अंतर्गत नवीन उत्पाद का नाम | | | | | NA | | | |
| | प्रतिस्थापन के प्रकरणों में | | | | | | | | |
| | प्रतिस्थापन के अंतर्गत उत्पाद/मशीनरी का नाम | | | | | | | | |
| फोटो अपलोड करें | सम्पूर्ण उद्योग का (गेट से फैक्ट्री तक), उत्पादनरत स्थिति में (शॉप फ्लोर का), निर्मित उत्पाद का तथा आवश्यकतानुसार अन्य | | | | | | | | |
| रिमार्क (अनिवार्यतः) | | | | | | | | | |

सत्यापन हेतु निर्देश :-

1. निरीक्षणकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें की इकाई द्वारा जो उत्पाद/सेवा का उल्लेख उत्पादन प्रमाण-पत्र के आवेदन में किया गया है, वास्तव में उन्ही उत्पादों/सेवाओं का विनिर्माण किया जा रहा है एवं इसकी सत्यता पर अनिवार्य रुप से रिमार्क/अभियुक्ति अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में दें।
2. निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि इकाई द्वारा घोषित किया गया उत्पादन दिनांक प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक/विद्युत कनेक्शन प्रदाय दिनांक तथा प्रथम विक्रय दिनांक के मध्य का कोई दिनांक हो।
3. विद्यमान इकाई के विस्तार के प्रकरणों में निरीक्षण अधिकारी औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विस्तार के प्रमाणन हेतु, इकाई के विद्यमान उत्पादन क्षमता की गणना हेतु, पूर्व में जारी उत्पादन प्रमाण-पत्र में वर्णित उत्पादन क्षमता या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र के परिशिष्ट-3.अ. अनुसार औसत उत्पादन (जो भी अधिक हो), को आधार बनाएंगे ।
4. निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि स्थल निरीक्षण के समय औद्योगिक इकाई के सम्पूर्ण उद्योग का (गेट से फैक्ट्री तक), उत्पादनरत स्थिति में (शॉप फ्लोर का), निर्मित उत्पाद का तथा आवश्यकतानुसार अन्य फोटो लें एवं अनिवार्य रुप से ऑनलाईन निरीक्षण प्रतिवेदन में अपलोड करें।

परिशिष्ट–6

# DIRECTORATE OF INDUSTRIES/

# DISTRICT TRADE & INDUSTRIES CENTRE, DIST.- ----------

POSTAL ADDRESS, PIN CODE, OFFICE LANDLINE, OFFICIAL E-MAIL

CHHATTISGARH

Certificate no…………….

Dated : dd/mm/yy

**New/Additional Certificate of Commencement of Production**

**(Name and adderess of the Industries Unit)**
**With category of block**

*** In favour of the above Industrial unit, following production certificates have previously been issued :-**

**1- Letter No ………, Dated……………, Issued by…………………**

**2- Letter No ………, Dated……………, Issued by…………………**

This is to certify that on the basis of information furnished by M/S (entity name ) (category of Enterprise) (manufacturing/service) enterprise at the address (address) in the State of Chhattisgarh, has commenced commercial production, as below:

**1. Products manufactured/ service provided**

| Existing/New Unit | | | | | In case of expansion | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Product/Service Name | Activity Code | Annual Capacity | Unit | Capacity added | Total Capacity after expansion | Date of Production |
| 1 | Auto filled | Auto filled | Auto filled | Auto filled | Auto filled | | |
| 2 | Auto filled | Auto filled | Auto filled | Auto filled | Auto filled | | |
| In case of Diversification | | | | | | | |
| 3 | Additional product/service under diversification | Auto filled | Auto filled | Auto filled | NA | | |

**2 Capital Investment (Rupees in lakhs)**

| Sr. No | Type of Asset | New Unit /Existing Unit | Expansion/ Diversification/ Replacement of existing Unit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Land/ Land Development | | | |
| 2 | Shed-Building | | | |
| 3 | Plant & Machinery/Equipment | | | |
| 4 | Electricity Installation | | | |
| 5 | Water Installation | | | |
| | Total | | | |

3 Total manpower deployed in the industrial unit, as on..............(Date) is as under

| Type of labour | Employment in Existing/New industrial unit | | | Additional Employees for Expansion/ Diversification/Replacement of Existing Industrial Unit | | | Total Employees after Expansion/diversification/ Replacement of the existing Industrial Unit | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | State Domiciled | Others | Total | State Domiciled | Others | Total | State Domiciled | Others | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2+3) | 5 | 6 | 7 (5+6) | 8 (2+5) | 9 (3+6) | 10 (4+7) |
| Unskilled | | | | | | | | | |
| Skilled | | | | | | | | | |
| Manageri al/Admini strative | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |

Notes :

1. This certificate is issued as per the provisions mentioned in the Industrial Policy 2019-24.
2. In case of this being a new certificate of commencement of production, this document is to be read as-is.
3. In case of this being an additional certificate of commencement of production, it must be read in conjunction with and is a part of, all previously issued certificates of commencement of production (new and/or additional), as mentioned at the beginning of this certificate, which must be kept attached and presented together.
4. In case of new units, Capacity/ Installed production capacity mentioned anywhere in this certificate, is as reported by the Industrial Unit only. And, in case of expansion/diversification of existing units, Capacity/ Installed production capacity mentioned anywhere in this certificate, is verified/validated by the Department of Commerce & Industries and/or any of its subordinate/attached office (s) on the basis of previously issued Production Certificate(s), and the submitted Chartered Accountant certificate (as per annexure 3a).
5. Capital investment as indicated in this certificate is on the basis of information furnished by the Unit and information certified by the Chartered Accountant / Unit (as the case may be) itself.
6. This is a one-time computer generated certificate and does not require any seal and signature. This certificate can be verified at.........................................................

ADDL/JT.DIRECTOR
Directorate of Industries,
CGM/ GM/MANAGER
District Trade & Industries Centre, Dist.- .........